

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

12वाँ तल, पं. दीनदयाल 'अंत्योदय' भवन,
सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोटी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक 20.03.2017

सेवा में

मुख्य सचिव/सचिव,
ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (असम, मेघालय और जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर)

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने हेतु आधार संख्या को प्रयोग {एसबीएम (जी)} के संबंध में।

महोदया/महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार ने 01 अप्रैल, 2017 से केंद्र क्षेत्र स्कीमों/केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों की सभी सब्सिडियों और कल्याण स्कीमों को सापेक्ष लाभ अंतरण के तहत लाने का निर्णय लिया है। डीबीटी कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, इसे डिजिटाइज्ड लाभार्थी डाटाबेस की आधार सीडिंग और आधार अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत स्कीमों को प्राथमिकता आधार पर अधिसूचित करना अनिवार्य बनाया गया।

2. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में एसबीएम (जी) के अंतर्गत आईएचएल के निर्माण हेतु लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए आधार संख्या को एक अनिवार्य पहचान पत्र के रूप में उपयोग में लाने हेतु दिनांक 17 फरवरी, 2017 को अधिसूचना जारी की है। इसके अनुपालन हेतु उपर्युक्त अधिसूचना एतद्वारा परिचालित की जाती है।

3. इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि कार्यक्रम के तहत लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु लाभार्थी डाटाबेस की आधार सीडिंग निर्धारित समय-सीमा तक एसबीएम (जी) की आईएमआईएस में पूरी की जानी भी आवश्यक है। यह भी वांछनीय है कि जब भी संभव होगा लाभार्थी के बैंक खाते को आधार संख्या के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि कैश हस्तान्तरण के मामले में लाभार्थी के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि साथ ही साथ यह वांछनीय है कि एक सुदृढ़ डाटाबेस का रखरखाव करने हेतु लाभार्थी का मोबाइल नंबर भी लिया जा सकता है।

4. एसबीएम (जी) के मौजूदा दिशा-निर्देश प्रचालन में रहेंगे।

संलग्न: यथोक्त

भवदीय

S/—
(सुनील कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:- 011-24369654

- प्रति:- 1) एसबीएम (जी) राज्य समन्वयनकर्ता, संबंधित राज्य।
2) वेबसाइट पर डालने और आईएमआईएस में जरूरी प्रावधानों हेतु टीडी
(एनआईएसी)।



भारत का साज़ेषन The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

ग्राहिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462]
No. 462]नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2017/ बाय 28, 1938
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017/MAHGA 28, 1938

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 16 फरवरी, 2017

का.आ. 514(अ).— जबकि सेवाओं या परिलाभों या समिस्ती के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभग्राहियों को सुविधापूर्वक और तिबादी रूप से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान सावित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त करता है;

और, जबकि भारत का पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन का संचालन कर रहा है, जिसके अधीन वैयक्तिक पारिवारिक थौंचालय (आईएचएचएल) के निम्नांग हेतु प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है;

अतः, अब, केंद्र सरकार का पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य समिस्ती, परिलाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है:

1. (क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अधीन आईएचएचएल के निम्नांग के लिए प्रोत्साहन राशि पाने के इच्छुक व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का प्रमाण प्रस्तुत करें या आधार का अधिप्रमाणन करवाएं।

(ख) व्यक्ति जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत प्रोत्साहन पाने का इच्छुक है परन्तु उसके पास आधार संख्या नहीं है, अथवा अभी आधार हेतु पंजीकृत नहीं है, उसे 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करने

की आवश्यकता होगी, यदि व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार आधार प्राप्त करने हेतु पात्र है और ऐसा व्यक्ति आधार हेतु नामांकित होने के लिए (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) किसी भी आधार नामांकन केंद्र में जा सकता है।

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार केंद्र अथवा राज्य का विभाग अथवा उनकी एजेंसी, जिन्हें व्यक्ति विशेष द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, उन लाभार्थियों के लिए नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित करेगा जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हुए हैं, और यदि उस क्षेत्र में कोई आधार नामांकन केंद्र निकट में स्थित न हो, तो राज्यों में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के संबद्ध विभागों द्वारा यूआईडीएआई के पंजीयिकों के साथ समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं अथवा यूआईडीएआई पंजीयिक बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है।

परन्तु व्यक्ति को आधार संख्या प्रदान किए जाने तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को सम्मानित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही दी जा सकती है:-

- (क) (i) यदि नामांकन हो गया है, व्यक्ति की आधार नामांकन पहचान पर्ची: अथवा
- (ii) आधार नामांकन हेतु किए गए अवेदन की प्रति, जैसा कि पैरा 2 के उच्च पैरा (ख) में विविर्दिष्ट है, और
- (ख) (i) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड, अथवा (ii) भारत के निर्वाचित आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र : अथवा; (iii) राशन कार्ड, अथवा (iv) फोटो युक्त बैंक पासबुक, अथवा (v) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड अथवा; (vi) पासपोर्ट; अथवा; (vii) लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अंधीन जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस अथवा; (viii) राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी तहसीलदार द्वारा कार्यालय के लैटरहेड पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटो सहित पहचान प्रमाण पत्र अथवा; (ix) किसान फोटो पासबुक, अथवा (x) राज्य सरकार द्वारा विविर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज़:

बश्ते इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

2. लाभार्थियों को सुविधाजनक और बाधारहित नामांकन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी एजेंसियों और अन्य माध्यमों से निम्नांकित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगी:-

(क) योजना के अंतर्गत आधार संख्या की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने के लिए संभावित लाभार्थियों को विकास क्षेत्र कार्यालयों अथवा ग्राम पंचायत (जीपी) अथवा इनकी अन्य एजेंसियों के माध्यम से मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा और यदि 31 मार्च, 2017 तक उनका नामांकन नहीं हुआ है तो उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर नामांकन कराने का सुझाव दिया जाए। उन्हें स्थानीय आधार पर उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) लाभग्राहियों के आस-पास नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की स्थिति में, राज्य सरकारों या ब्लॉक कार्यालयों अथवा ग्राम पंचायत जैसे उनके अभिकरणों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाओं का मृजन करें और लाभग्राहियों से ग्राम

- पंचायत या ब्लॉक कार्यालय या पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के वेबपोर्टल को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसे अन्य विवरण उपलब्ध कराकर नामांकन हेतु अपना अवेदन दर्ज कराने का आग्रह किया जाए।
3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

[फा. सं. एस-12013/3/2015-एसबीएम]

सत्यव्रत साहू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2017

S.O. 514 (E).—Whereas, the use of Aadhaar number as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Drinking Water and Sanitation in the Government of India is administering the Swachh Bharat Mission (Gramin) (SBM-G) under which an incentive is provided for construction of Individual Household Latrine (IHHL), which involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Drinking Water and Sanitation hereby notifies the following, namely:—

1. (a) An individual desirous of incentive for construction of IHHL under Swachh Bharat Mission-Gramin is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.
- (b) An individual desirous of getting incentives under the Swachh Bharat Mission (Gramin) who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar is required to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment center (list available at (www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.
- (c) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Central or State Department or their agencies which requires an individual to furnish proof of possession of Aadhaar number shall ensure enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar number and in case there is no Aadhaar enrolment center located in the vicinity, the respective department of the Ministry of Drinking Water and Sanitation in the States, may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or may provide Aadhaar number enrolment facilities by becoming UIDAI Registrars.

Provided that till the time Aadhaar number is assigned to the individual, incentive under the Swachh Bharat Mission (Gramin) shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:—

- (A) (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or
 (ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2, and
- (B) (i) Below Poverty Line (BPL) Card, or (ii) the voter identity card issued by the Election Commission of India; or (iii) Ration Card, or (iv) Bank passbook with photo, or (v) the Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or (vi) the Passport; or (vii) the driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (viii) the certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (ix) the Kisan Photo passbook; or (x) any other document specified by the State Government:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by State Government for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free registration to beneficiaries, the Central Government and State Governments, through its agencies and other means, shall make all the required arrangements including the following, namely:—

- (a) wide publicity through media and individual notices through the Block offices or Gram Panchayat (GP) or its other agencies shall be given to the prospective beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar number under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centers available in their areas, in case they are not already enrolled by 31st March, 2017. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.
- (b) in case, beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the vicinity, the State Governments or its agencies such as Block Offices or Gram Panchayat are required to create enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details such as name, address, mobile number with their Block Office or Gram Panchayat or through the web portal of the Ministry of Drinking Water and Sanitation.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the official Gazette in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No: S-12013/3/2015-SBM]

SATYABRATA SAHU, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 707]

No. 707]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2017/फाल्गुन 19, 1938
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2017/PHALGUNA 19, 1938

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 01 मार्च, 2017

का.आ. 786(अ)।—दिनांक 16.02.2017 को प्रकाशित इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 514 (अ) के संदर्भ में तिन्हिं बित्ति संशोधन किए जाते हैं:

- i. अधिसूचना में सुदित शब्द “लाभार्थियों” के स्थान पर “लाभार्थियों” पढ़ा जाए।
- ii. पेज-2 में पैरा 1 (ग) की आठवीं अंकि में सुदित शब्द “समिक्षा” के स्थान पर “प्रोत्साहन राशि” पढ़ा जाए।

[फा. नं. एच-12013/3/2015-एसबीएम]

सत्यव्रत साहू, संयुक्त सचिव

1328 GV2017

Uploaded by Dir. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064,
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL

Digital Signature by RAJESH SUKUL

Date: 2017-03-11 10:37:25 +0530